



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012022-232911
CG-DL-E-25012022-232911

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 25, 2022/माघ 5, 1943

No. 337]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 25, 2022/ MAGHA 5, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2022

(आय-कर)

का.आ. 345(अ).— केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “अधिनियम” कहा गया है) की धारा 10 के खंड 23(चड.) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की 2020 की अधिसूचना सं. 89 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), का.आ. संख्यांक 3952 (अ), तारीख 2 नवंबर, 2020, द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(I). खंड (vii), खंड (viii), खंड (ix), खंड (x), खंड (xi) और खंड (xii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(vii) निर्धारिती का उपार्जन या तो अबू धाबी सरकार के खाते में या उस सरकार द्वारा पदाभिहित किसी अन्य खाते में निक्षेप किया जाएगा जिससे भारत में विनिधान करने से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु लिए गए ऋण या उधार (अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उपखंड (क) में यथा परिभाषित) हेतु लेनदारों या निक्षेपकर्ताओं को किए गए किसी संदाय के सिवाय किसी प्राइवेट व्यक्ति को उपार्जन के किसी भाग का उपयोग न किया जा सके;

(viii) निर्धारिती के पास भारत में विनिधान करने के प्रयोजनों हेतु प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, (अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उपखंड (क) में यथा परिभाषित) कोई ऋण या उधार नहीं होगा;

(ix) निर्धारिती की आस्ति, भारत में विनिधान करने से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए लिए गए ऋण या उधारों हेतु लेनदारों या निक्षेपकर्ताओं को किए गए संदाय के सिवाय विघटन पर अबू धाबी सरकार में निहित होगी;

(x) निर्धारिती, (अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उपखंड (क) में यथा परिभाषित) विनिधान प्राप्तकर्ता के दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलापों में भागीदारी नहीं करेगा किंतु विनिधान प्राप्तकर्ता के पास विनिधान को सुरक्षित करने हेतु मानीटरी करने का तंत्र जिसके अंतर्गत निदेशकों या कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति का अधिकार भी है, विनिधान प्राप्तकर्ता के क्रियाकलापों में भागीदारी के रूप में नहीं समझा जाएगा।”;

(II) उपाबंध के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात् :-

“उपाबंध

संप्रभु धन निधि द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन छूट का दावा करने हेतु संपरीक्षा रिपोर्ट भरी जाए

भाग 1

*मैं/हम रिपोर्ट करता हूँ/करते हैं कि मैंसर्स..... (निर्धारिती का नाम और पता, स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक सहित), की कानूनी संपरीक्षा जिसकी विशिष्टियाँ भाग 2 में दी गई हैं, *मेरे/ हमारे/ मैंसर्स.....द्वारा भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना संख्यांक..... तारीख....के अधीन अपेक्षा के अनुसार संचालित की गई थी।

2. *मेरी/हमारी राय में और * मेरी/हमारी जानकारी तथा लेखा बहियों की परीक्षा के अनुसार, जिसके अंतर्गत अन्य सुसंगत दस्तावेज और *मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरण भी हैं, यह सत्यापित किया जाता है कि निर्धारिती ने *आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन अधिकथित शर्तों और उनका जो उक्त अधिसूचना में उक्त खंड (23चड.) के अधीन छूट का दावा करने के प्रयोजनों हेतु विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न निधि होने के नाते निर्धारिती को विनिर्दिष्ट करने वाली उक्त अधिसूचना में उपबंधित हैं, *पालन किया है/नहीं किया है।

2.1 *निर्धारिती द्वारा शर्त का अनुपालन निम्न प्रकार नहीं किया गया है :-

(क)

(ख)

3. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और * मुझे/हमें दिए गए अन्य सुसंगत दस्तावेजों तथा स्पष्टीकरणों सहित लेखा बहियों की जांच के अनुसार भाग 2 में दिए गए विवरण निम्नलिखित संपरीक्षणों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्यधीन सत्य और सही है, अर्थात् :-

(क)

(ख)

भाग 2

1. निर्धारिती का नाम :

2. स्थायी खाता संख्यांक/आधार :

3. पूर्ववर्ती वर्ष :

4. पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान निर्धारिती की कुल आय :

5. आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन छूट हेतु पात्र आय की कुल रकम (सारणी के स्तंभ 11 में मद संख्या 6 के ब्यौरों के अनुसार):

आरंभिक अतिशेष (पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को अंतिम अतिशेष) धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन(रुपये) छूट के लिए पात्र है और उक्त अवधि के दौरान संप्रभु धन निधि द्वारा विनिधान के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

क्रम सं.	विनिधान की तारीख	विनिधान की रकम	विनिधान की प्रकृति (अनुदेश 4)	आय की प्रकृति (अनुदेश 5)	वर्ष के दौरान विनिधान पर आय की रकम	उस इकाई के व्यौरे जिसमें विनिधान किया गया है।				आय की रकम जो धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन छूट के लिए पात्र हैं। (सुसंगत नियमों के अनुसार संगणना पन्ना संलग्न करें)।
						प्रकृति (अनुदेश 6)	नाम	स्थायी खाता संख्यांक	इकाई की प्रकृति का कोड 3/4/5 होने की दशा में, क्या इकाई में न्यूनतम विनिधान धारा 10 के खंड (23चड.) के उपखंड (iii) की मद (ग) या मद (घ) या मद (ड.) में यथा अपेक्षित 50 या 75 या 90 प्रतिशत किया है। (सुसंगत नियमों के अनुसार संगणना पन्ना संलग्न करें)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.										
2.										
कुल										

7. *एसडब्ल्यूएफ में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए किए गए किसी भी निक्षेप को उस तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पूर्व विक्रय नहीं किया गया है जिस दिन ऐसा निक्षेप किया गया था। उक्त छूट के संबंध में एसडब्ल्यूएफ ने आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन छूट के प्रयोजनों हेतु किए गए कुछ निक्षेपों को उस तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पूर्व विक्रय कर दिया है जिस दिन ऐसा निक्षेप किया गया था। उक्त छूट के संबंध में जिसका विवरण निम्नप्रकार है :

क्रम सं.	विनिधान की तारीख	विनिधान की प्रकृति (अनुदेश 4)	आय की प्रकृति (अनुदेश 5)	वर्ष के दौरान विनिधान पर आय की कुल रकम	उस इकाई के व्यौरे जिसमें विनिधान किया गया है।			विक्रय की तारीख
					इकाई की प्रकृति (अनुदेश 6)	नाम	स्थायी खाता संख्यांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
कुल								

8. एसडब्ल्यूएफ, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन छूट के प्रयोजनों हेतु निम्नलिखित सभी अपेक्षित शर्तें पूर्ण करता है, अर्थात् -

(क)	क्या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः बाहरी देश की सरकार एसडब्ल्यूएफ पर पूर्णतः स्वामित्व रखती है या उसे नियंत्रित करती है।	हां/नहीं
(ख)	उस बाहरी देश की सरकार का नाम उल्लिखित करे जो एसडब्ल्यूएफ पर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वामित्व और नियंत्रण रखती है।	
(ग)	क्या बाहरी देश की सरकार एसडब्ल्यूएफ पर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वामित्व और नियंत्रण रखती है।	प्रत्यक्षतः/ अप्रत्यक्षतः
(घ)	बाहरी देश की सरकार एसडब्ल्यूएफ पर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वामित्व और नियंत्रण रखने की दशा में स्वामित्व की श्रृंखला के व्यौरे दें।	
(ड.)	विधि का नाम जिसके अधीन एसडब्ल्यूएफ स्थापित और विनियमित है।	
(च)	क्या उक्त निधि का उपार्जन बाहरी देश की सरकार के खाते में या सरकार द्वारा पदाभिहित किसी अन्य खाते में प्रत्यय किया जाता है जिससे भारत में विनिधान करने से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु लिए गए ऋण या उधारों हेतु लेनदारों या निक्षेपकर्ताओं को किए गए किसी संदाय के सिवाय किसी प्राइवेट व्यक्ति को उपार्जन के किसी भाग का उपयोग न किया जा सके	हां/नहीं
(छ)	निर्धारित की आस्ति, भारत में विनिधान करने से भिन्न अन्य प्रयोजनों हेतु लिए गए ऋण या उधारों के लिए लेनदारों या निक्षेपकर्ताओं को किए गए संदाय के सिवाय, विघटन पर बाहरी देश की सरकार में निहित होगी;	हां/नहीं

(ज)	जहां (च) या (छ) का उत्तर 'नहीं' है वहां निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध करें : (i) ऐसे प्राइवेट व्यक्ति का नाम (ii) वर्ष के दौरान उपलब्ध कराए गए फायदे की रकम	
(झ)	निर्धारित, विनिधान प्राप्तकर्ता के दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलापों में भागीदारी नहीं करेगा किंतु विनिधान प्राप्तकर्ता के पास विनिधान को सुरक्षित करने हेतु मानीटरी करने का तंत्र जिसके अंतर्गत निदेशकों या कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति का अधिकार भी है, विनिधान प्राप्तकर्ता के क्रियाकलापों में भागीदारी के रूप में नहीं समझा जाएगा।	हां/नहीं
(ञ)	जहां (झ) का उत्तर 'हां' है वहां निम्नलिखित ब्यौरे दें : (i) विनिधान प्राप्तकर्ता का नाम (ii) विनिधान प्राप्तकर्ता का स्थायी खाता संख्यांक (iii) वर्ष के अंत में ऐसे विनिधान प्राप्तकर्ता में विनिधान की रकम	हां/नहीं
(ट)	क्या उसने भारत में उसके द्वारा किए गए विनिधान के ब्यौरों की जानकारी परिपत्र संख्यांक 15/2020 तारीख 22.07.2020 द्वारा जारी किए प्ररूप संख्यांक 2 के अनुसार अपेक्षा का अनुपालन किया है	हां/नहीं
(ठ)	क्या उसके पास भारत में विनिधान करने के प्रयोजन हेतु प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण 2 में यथा परिभाषित ऋण या उधार है	हां/नहीं
(ड)	यदि (ठ) का उत्तर 'हां' है तो निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध कराएं : (i) ऐसे व्यक्ति का नाम जिससे ऐसा ऋण या उधार लिया गया है (ii) वर्ष के आरंभ में ऋण या उधार की रकम (iii) वर्ष के दौरान प्राप्त किए ऋण या उधार की रकम (iv) वर्ष के दौरान पुनःसंदत्त ऋण या उधार की रकम (v) वर्ष के अंत में ऋण या उधार की रकम	हां/नहीं
(ढ)	क्या ऐसे विनिधान के संबंध में विनिधान और आय हेतु पृथक लेखा अनुरक्षित किया गया है जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन छूट हेतु अर्हक है।	

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और स्टाम्प/मुद्रा

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

सदस्यता संख्या

यूटीआईएन.....

अनुदेश :

1. *जो लागू न हो, काट दें।
2. यह प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी अकाउंटेंट द्वारा दिया जाए।
3. "विनिधान प्राप्तकर्ता" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण के खंड (i) में है और "ऋण और उधार" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ii) के उपखंड (ख) में है।
4. निम्नलिखित कोडों में से किसी एक कोड का चयन किया जाए :-

विनिधान की प्रकृति	कोड
ऋण	1
साधारण शेयर	2
वरीयता शेयर	3
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	4

5. निम्नलिखित कोडों में से किसी एक कोड का चयन किया जाए :-

आय की प्रकृति	कोड
व्याज	1
लाभांश	2
पूँजी लाभ	3
अन्य	4

6. निम्नलिखित कोडों में से किसी एक कोड का चयन किया जाए :-

इकाई की प्रकृति जिसमें विनिधान किया है	कोड
धारा 10 के खंड (23चड.) के उपखंड (iii) की मद (क) में निर्दिष्ट कारबार न्यास	1
धारा 10 के खंड (23चड.) के उपखंड (iii) की मद (ख) में निर्दिष्ट कंपनी या उपक्रम या इकाई	2
धारा 10 के खंड (23चड.) के उपखंड (iii) की मद (ग) में निर्दिष्ट अनुकल्पी विनिधान निधि	3
धारा 10 के खंड (23चड.) के उपखंड (iii) की मद (घ) में निर्दिष्ट घरेलू कंपनी	4
धारा 10 के खंड (23चड.) के उपखंड (iii) की मद (ड.) में निर्दिष्ट अवसंरचना वित्त कंपनी/ अवसंरचना ऋण निधि- एनबीएफसी	5

..

[अधिसूचना सं. 11/2022 /फा. सं. 370133/16/2020-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव

स्पष्टीकरण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 2 नवंबर, 2020 का.आ. 3952(अ) तारीख 2 नवंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी।